

<p>रीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>14/1/25</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राची उपर वास्ते पत्रावली बटस दिनांक 14/1/25 को पेश हो।</p>	
<p>14/1/25</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्राची उपर। पत्रावली वास्ते बटस दिनांक 30/5/25 को पेश हो।</p>	
<p>30-5-25</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलान फरीकन उपरिपत्र। अभिभाषकनुसार पत्रावली दिनांक 28/7/25 को पेश हो।</p>	
<p>28/7/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलान फरीकन उपर। बटस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची के इतिहास के तर्कों पर मनन किया।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

जाया। प्राण्ड खारिफ किने
पाने योग्य है।

अतः प्राण्ड का प्राण्ड

पर अन्तर्गत धारा 212 का

खारिफ किना जाता है परन्तु

फैसल अन्तर्गत धारा 212 का

ले कर है मूल वीड के साथ

हुक है
ish